सं0 वाद 0115 | प्रतिलिपि-6

न्यायालय उपजिलाधिकारी/सहा0कले0प्र0श्रेणी अतरौली जिला अलीगढ

वाद संख्या- 273 /2014 अन्तर्गत धारा-143 ज0वि0एवं0भू0व्य0अधिनियम
मौजा- रामपुर मजरा भुडिया परगना गंगीरी तहसील अतरौली जिला-अलीगढ
श्री सिद्ध बाबा महाविद्यालय बनाम सरकार

आदेश दिनांक - 13-2-14

प्रस्तुत वाद प्रार्थी श्री बोधपालसिंह प्रबन्धक/सचिव श्री सिद्ध बाबा महाविद्यालय रामपुर मजरा भुडिया तहसील अतरौली जिला अलीगढ के प्रार्थना पत्र दिनांक 25.01.2014 पर तहसीलदार अतरौली से प्राप्त जॉच आख्या दिनांक 28.01.2014 के आधार पर योजित हुआ है। संक्षेप में प्रार्थी का कथन है कि आराजी खाता संख्या 161 के गाटा संख्या 150 रकवा 0.346 व 159 रकवा 2.069 कुल 02 किता रकवा 2.415 है0 भूमि स्थित मौजा रामपुर मजरा भुडिया परगना गंगीरी तहसील अतरौली जिला अलीगढ सिद्ध बाबा माध्यमिक विद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है और इस भूमि पर श्री सिद्ध बाबा महाविद्यालय का भवन बना है जिसकी चारदीवारी हो रही है तथा 25 कमरे बने हुए है और खसरा में भी आबादी अंकित है। उक्त भूमि पर महाविद्यालय बना होने के कारण भूमि आवासीय प्रयोजन में आ रही है तथा मौके पर कृषि भूमि नही है और आबादी है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को ज0वि0एवं भू0व्य0अधि0 की धारा 143 के अर्न्तगत अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उक्त प्रकरण की जॉच तहसीलदार अतरौली से करायी गयी। तहसीलदार अतरौली द्वारा ज0वि0 एंव भू0व्य0 नियमावली के नियम 135 के निर्धारित प्रारुप पर क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की जॉच आख्या पर दिनांक 28.01.2014 को आख्या प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि ग्राम रामपुर मजरा भुडिया परगना गंगीरी तहसील अतरौली के खाता संख्या 161 के गाटा संख्या 150 रकवा 0.346 व 159 रकवा 2.069 कुल 02 किता रकवा 2.415 है0 पर सिद्ध बाबा माध्यमिक विद्यालय का नाम अंकित है एंव भूमि संक्रमणीय भूमिधर है और इन दोनो नम्बरों की चारदीवारी हो रही है तथा मौके पर 20 कमरे बने है एंव स्कूल चल रहा है। अतः तहसीलदार अतरौली द्वारा उक्त भूमि को आबादी/अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है तथा वाद भूमि का नक्शा नजरी बनाकर प्रस्तुत किया गया है।

मैनें पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य एंव तहसीलदार अतरौली की जॉच आख्या का अवलोकन किया गया, जिससे विदित होता है कि उपरोक्त वर्णित आराजी पर सिद्ध बाबा माध्यमिक विद्यालय का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। तहसील आख्यानुसार उक्त भूमि पर श्री सिद्ध बाबा महाविद्यालय का भवन बना हुआ है और चार दीवारी हो रही है तथा 20 कमरे बने हुए है तथा मौके पर अकृषिक प्रयोजन में आ रही है तथा मौके पर कृषि कार्य नही हो रहा है। इस तथ्य की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध उद्धरण खसरा 14014 फसली से होती है जिसमें उक्त भूमि पर किसी फसल का अंकन नही है तथा खसरा के स्तम्भ 18 व 19 में उक्त भूमि सिद्ध बाबा स्कूल के नाम अकृषिक भूमि अंकित है। ऐसी दशा में तहसीलदार अतरौली की आख्या से सहमत होते हुए उक्त भूमि को आबादी/अकृषिक भूमि घोषित किया जाना समुचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार अतरौली की जॉच आख्या के आधार पर प्रार्थी श्री बोधपालसिंह प्रबन्धक/सचिव श्री सिद्ध बाबा महाविद्यालय रामपुर मजरा भुडिया तहसील अतरौली जिला अलीगढ की भूमि स्थित मौजा रामपुर मजरा भुडिया परगना गंगीरी तहसील अतरौली जिला-अलीगढ की खतौनी खाता संख्या 161 के गाटा संख्या 150 रकवा 0.346 व 159 रकवा 2.069 कुल 02 किता रकवा 2.415 है0 भूमि भूराजस्व 54.60 रुपया भूमि को अकृषिक/आबादी इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि यदि उपरोक्त भूमि पर भविष्य में कृषि कार्य होना पाया जाता है तो कृषि भूमि मानकर भूराजस्व इत्यादि योजित कर दिया जायेगा। तहसील अतरौली की जांच आख्या दि0 28.01.2014 इस आदेश का अंग रहेगी। उपरोक्तानुसार भूराजस्व खाते से मुक्त किया जावे। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी होवे। राजस्व अभिलेख खतौनी में इस आदेश का इन्द्राज वर्षानुवर्ष किया जाता रहेगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार अतरौली व उपनिबन्धक अतरौली को भेजी जावे। अनुपालन के उपरान्त पत्रावली संचित की जावे

दिनांक : 13.02.2014

(राजपालसिंह)
उपजिलाधिकारी/सहा0कले0प्र0श्रेणी
अतरौली,अलीगढ

नकल प्रा0 पत्र का दि0 14-2-14
नकल तैयार दि0 15-2-14
नकल वादी दि0 15-2-14